न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुनील कुमार पीपलीवाल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 31 / 2024 दायर दिनांकः 09.12.2024

उनवान

1. रणजीत आयु 32 वर्ष पुत्र रूप सिंह जाति राजपूत निवासी शेरगढ़ तहसील अटरू जिला बारां।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—

प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव

अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 31.12.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल शेरगढ़ तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 114 का खसरा नं. 427 का रकबा 0.87 हैक्टर कुल किता 1 का रकबा 0.87 हैक्टर हिस्सा 1/24 आराजी प्रार्थी के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम रणजीत के स्थान पर रणवीर सिंह दर्ज हो गया है जो कि गलत अंकित है। जबकि प्रार्थी का सही नाम रणजीत है जो कि उसके आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी आदि दस्तावेजो में भी रणजीत नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेजात प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को प्रार्थी दुरुस्त करवा कर अपना नाम रणवीर सिंह के स्थान पर रणजीत दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत

एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थी का नाम रणवीर सिंह कर देने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से प्रार्थी बैंक से कृषि ऋण प्राप्त नही कर पा रहा है और न ही अन्य कृषि योजनाओं इत्यादि का लाभ प्राप्त कर पा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटि को प्रार्थी दुरुस्त करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल शेरगढ़ तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम/माल शेरगढ़ में खाता संख्या 114 की कुल किता 1 का रकबा 0.87 हैक्टर में प्रार्थी का नाम रणवीर सिंह के स्थान पर रणजीत दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी ग्राम शेरगढ की खाता संख्या 114 के ख0नं0 427 रकबा 0.87 है0 में अपना नाम रणवीर सिंह के स्थान पर रणजीत करवाना चाहता है। अतः रिकार्ड, साक्ष्य एवं सहखातेदारान की सहमति तथा उर्फ लगाते हुए नाम दुरूस्त करने पर अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 संजू कंवर पुत्री रूप सिंह जाति राजपूत निवासी शेरगढ तहसील अटरू जिला बारां के शपथ पत्र पेश किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल शेरगढ सम्वत 2071–74 खाता संख्या 114, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक सिंडिकेट बैंक कोटा, सरपंच ग्राम पंचायत शेरगढ प्रमाण पत्र दिनांक 12.01.2025, शपथ पत्र गवाहान का अवलोकन किया गया।

जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 के खाता संख्या 114 ग्राम शेरगढ में सहखातेदार प्रार्थी की सगी बहिन ने भी रणवीर सिंह का नाम रणजीत होना स्वीकार किया है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, दस्तावेजात का अवलोकन व साक्ष्यप्रार्थी के आधार पर ग्राम एवं माल शेरगढ तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 114 का खसरा नं. 427 का रकबा 0.87 है0 आराजी में सह खातेदार रणवीरसिंह पुत्र रूपसिंह के स्थान पर रणजीत उर्फ रणवीरसिंह पुत्र रूप सिंह किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल शेरगढ तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 114 का खसरा नं. 427 का रकबा 0.87 है0 आराजी में सह खातेदार रणवीरसिंह पुत्र रूपसिंह के स्थान पर रणजीत उर्फ रणवीरसिंह पुत्र रूप सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां